Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक: एक कानूनी और समाजशास्त्रीय अध्ययन

श्रीमती प्रीती बुंदेला* डॉ. राम सिंह पटेल**

* शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
** सह-प्राध्यापक, पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किशोर अपराध एक जटिल सामाजिक-कानूनी परिघटना है जो आर्थिक कठिनाई, सामाजिक विघटन और कानूनी अपर्याप्तताओं के बीच के अंतर्संबंध को दर्शाती है। भारत में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने इस प्रवृत्ति के अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों के बारे में चिंता पैदा कर दी है। यह शोध पत्र इस बात की जाँच करता है कि गरीबी, पारिवारिक अव्यवस्था, बेरोजगारी, शहरीकरण, साथियों का दबाव और शिक्षा का अभाव किशोर अपराध में कैसे योगदान करते हैं। यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और संबंधित संवैधानिक एवं नीतिगत ढाँचों के माध्यम से कानूनी प्रतिक्रिया का भी आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। सामाजिक-कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए, इस अध्ययन का उद्देश्य अपराध को केवल एक कानूनी उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक विकृति के एक लक्षण के रूप में समझना है। यह पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किशोर अपराध के मूल कारणों का समाधान करने के लिए, न कि केवल उसके परिणामों को दंडित करने के लिए, समग्र हस्तक्षेप-शिक्षा, परिवार कल्याण, गरीबी उन्मूलन और सामुदायिक पुनर्वास को एकीकृत करना- आवश्यक है।

शब्द कुंजी – किशोर अपराध, सामाजिक-आर्थिक कारक, किशोर न्याय, गरीबी, कानूनी ढांचा, सामाजिक अव्यवस्था, पुनर्वास।

प्रस्तावना – किशोर अपराध भारत के आपराधिक न्याय और सामाजिक नीति विमर्श में सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। यह शब्द 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए उन अपराधों को संदर्भित करता है जो कानून के विरुद्ध जाते हैं। हालाँकि, अपराध कानूनी परिभाषाओं से परे भी है-यह सामाजिक विचलन का प्रतीक है, जिसकी जड़ें अक्सर आर्थिक संकट, पारिवारिक अस्थिरता और सामुदायिक अव्यवस्था में होती हैं। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना, जिसमें एक बड़ी युवा आबादी है, इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, किशोर अपराध सालाना कुल अपराधों का लगभग 1.2-1.5% हिस्सा है, जिसमें चोरी, हमला और यौन अपराध सबसे आम हैं। हालाँकि ये आँकड़े मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये गहरी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को दर्शाते हैं।

भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (1989) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते दंड की तुलना में सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास पर जोर देते हैं। फिर भी, किशोर अपराध का जारी रहना कानून और सामाजिक वास्तविकता के बीच एक अंतर को उजागर करता है। इसलिए, यह शोधपत्र किशोर अपराध के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों की विस्तृत जाँच करता है और इसे कम करने में भारत के कानूनी और संस्थागत तंत्रों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।

अवधारणा और सैद्धांतिक ढाँचा

किशोर अपराध का अर्थ – किशोर अपराध किसी नाबालिग द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कृत्य है जो आपराधिक कानून या सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति मानता है जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो या पाया गया हो। हालाँकि, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपराध को ऐसे व्यवहार के रूप में देखते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृत मानदंडों से विचलित होता है, जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाता है।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण

सामाजिक अव्यवस्था सिद्धांत (शॉ और मैके, 1942)- यह सुझाव देता है कि किशोर अपराध कमजोर सामाजिक संस्थाओं, खराब आर्थिक स्थितियों और प्रवासन-जनित अस्थिरता वाले समुदायों में प्रचलित है।

1. **तनाव सिद्धांत (रॉबर्ट मर्टन, 1938)-** यह मानता है कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक असमानता और हताशा अपराध को जन्म देती है।
2. **लेबलिंग सिद्धांत (हॉवर्ड बेकर, 1963)-** इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक लेबलिंग और कलंक किशोरों में विचलित पहचान को मजबूत कर सकते हैं।
3. **विभेदक साहचर्य सिद्धांत (सदरलैंड, 1939)-** यह तर्क देता है कि अपराधी व्यवहार उन साथियों के साथ अंत:क्रिया के माध्यम से सीखा जाता है जो आपराधिक मूल्यों का समर्थन करते हैं।

ये सिद्धांत सामूहिक रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि किशोर अपराध एक सामाजिक उत्पाद है, न कि केवल एक व्यक्तिगत पसंद, जो आर्थिक,

सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित होती है।

किशोर अपराध के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक

गरीबी और आर्थिक अभाव – गरीबी किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारकों में से एक है। आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े परिवारों के बच्चों को अक्सर शिक्षा, पोषण और मनोरंजन के अवसरों की कमी होती है, जिससे वे जीवनयापन के लिए अवैध गतिविधियों की ओर रुख करते हैं। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 41% से ज्यादा किशोर अपराधी ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी सालाना आय रू 50,000 से कम है।

आर्थिक अभाव निराशा और अलगाव को भी जन्म देता है, खासकर जब बच्चे सामाजिक असमानता और उपभोक्तावादी आकांक्षाओं को देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के उनके पास साधन नहीं होते। छोटी-मोटी चोरियाँ, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित गिरोहों में शामिल होना अक्सर जानबूझकर आपराधिक इरादे के बजाय जीवनयापन की रणनीति के रूप में सामने आते हैं।

पारिवारिक अव्यवस्था और घरेलू हिंसा – टूटे हुए परिवार, माता-पिता की उपेक्षा, शराबखोरी और घरेलू हिंसा का बच्चों की भावनात्मक स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक असंतुलित घरेलू वातावरण किशोरों को स्नेह और देखरेख से वंचित करता है, जिससे व्यवहार संबंधी विकार पैदा होते हैं। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस) के अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश किशोर अपराधी ऐसे घरों से आते हैं जहाँ संघर्ष, एकल अभिभावकत्व या सौतेले माता-पिता के रिश्ते होते हैं। किशोरावस्था के दौरान माता-पिता के मार्गदर्शन का अभाव- जब नैतिक मूल्य अभी भी विकसित हो रहे होते हैंकृबच्चों को विचलित प्रभावों और असामाजिक व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाता है।

शैक्षिक असफलता और स्कूल छोड़ना – बच्चों के सामाजिककरण और अनुशासन की शिक्षा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, खराब बुनियादी ढाँचे, अनुपस्थिति और व्यावसायिक प्रासंगिकता की कमी ने स्कूल छोड़ने की दर को, विशेष रूप से ग्रामीण और झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में, चिंताजनक रूप से बढ़ा दिया है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) बताती है कि भारत में लगभग 28% किशोर (14-18 वर्ष) स्कूल नहीं जाते हैं या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण में शामिल नहीं होते हैं। अशिक्षित और बेरोजगार युवा अक्सर सड़क पर रहने की ओर आकर्षित होते हैं, और ऐसे समूह बनाते हैं जहाँ विचलित व्यवहार सामान्य बात है। परिणामस्वरूप, शिक्षा का अभाव किशोर अपराध का कारण और परिणाम दोनों बन जाता है।

बेरोजगारी और शहरी हाशिए पर जाना – तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने सीमित रोजगार अवसरों वाली अनौपचारिक बस्तियों के विशाल क्षेत्र निर्मित कर दिए हैं। इन क्षेत्रों के किशोर, जिनके पास स्थिर रोजगार या व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है, आसानी से अवैध अर्थव्यवस्थाओं- नशीले पदार्थों की तस्करी, छोटी-मोटी चोरी, साइबर अपराध और भीख मांगने के धंधोंकृमें फंस जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) इस बात पर जोर देता है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर लगभग 23% बनी हुई है, जिससे निराशा और आलस्य बढ़ता है। शहरी गुमनामी और कमजोर सामुदायिक निगरानी के साथ, अपराध का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

साथियों का प्रभाव और गिरोह संस्कृति – साथियों का दबाव किशोरों के व्यवहार को काफी प्रभावित करता है। युवा समूह में स्वीकृति और पहचान चाहते हैं, जो कभी-कभी अपराधी मानदंडों को बढ़ावा दे सकता है। शहरी केंद्रों में, स्थानीय गिरोहों और ऑनलाइन नेटवर्क के उदय ने समूह-आधारित अपराधों को बढ़ा दिया है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 60% से ज्यादा किशोर अपराधियों ने साथियों के प्रभाव या समूह के दबाव में काम किया।

मादक द्रव्यों का सेवन – मादक पदार्थों की लत, जो अपराध का एक कारण और प्रभाव दोनों है, किशोरों में बढ़ी है। कम आय वाले इलाकों में नशीली दवाओं, शराब और इनहेलेंट की आसान पहुँच निर्भरता और आवेगपूर्ण आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र (एम्स, 2021) ने बताया कि लगभग 8.5% भारतीय किशोरों ने मनो-सक्रिय पदार्थों का प्रयोग किया है।

भारत में किशोर अपराध से निपटने हेतु कानूनी ढाँचा

संवैधानिक प्रावधान – भारतीय संविधान में बाल-सुरक्षा की कई गारंटीएँ निहित हैं:

1. **अनुच्छेद 15(3)–** बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
2. **अनुच्छेद 21–** किशोरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
3. **अनुच्छेद 39(ई)-(एफ)–** बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा प्रदान करता है।
4. **अनुच्छेद 45–** बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।

ये प्रावधान पुनर्वास और कल्याण-आधारित न्याय के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

जेजे अधिनियम, 2015, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित प्राथमिक कानून है। यह प्रतिशोध के बजाय देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास पर केंद्रित है। हालाँकि, इसमें एक विवादास्पद खंड जोड़ा गया है जिसके तहत जघन्य अपराधों के आरोपी 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों पर किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है।

यद्यपि यह अधिनियम बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), संप्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों की स्थापना करता है, लेकिन सीमित धन, नौकरशाही संबंधी देरी और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण इसका कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2020) और हरि राम बनाम राजस्थान राज्य (2009) जैसी न्यायिक व्याख्याएँ किशोरों के साथ अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि सुधार योग्य व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता की पुष्टि करती हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण – भारत में किशोर अपराध को केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता - इसके लिए समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक असमानता, जाति-आधारित हाशिए पर होना और शहरी बहिष्कार का बने रहना विचलित व्यवहार के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। उदाहरण के लिए, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले समुदायों में, बच्चे अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं और सीमित शैक्षिक आकांक्षाओं के बीच पले-बढ़े होते हैं, जिससे छोटे-मोटे अपराध आजीविका

के रूप में सामान्य हो जाते हैं। गरीबी, जाति और शहरी हाशिये की अंतर्संबंधता से पता चलता है कि अपराध अक्सर सामाजिक उपेक्षा का परिणाम होता है। इसके अलावा, सुधारे गए किशोरों पर सामाजिक कलंक लगाने से पुन: एकीकरण के अवसर सीमित हो जाते हैं, जिससे पुनरावृत्ति का चक्र चलता रहता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

1. **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा–** संप्रेक्षण गृह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाले और कम कर्मचारियों वाले हैं।
2. **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी–** परिवीक्षा अधिकारियों और परामर्शदाताओं में अक्सर संवेदनशीलता और विशेष प्रशिक्षण का अभाव होता है।
3. **आँकड़ों की कमी–** किशोर अपराधियों पर व्यापक सामाजिक–आर्थिक आँकड़ों का अभाव लक्षित हस्तक्षेपों में बाधा डालता है।
4. **सामाजिक कलंक–** किशोरों के पुनर्वास के प्रति सामुदायिक प्रतिरोध पुन: एकीकरण में बाधा डालता है।
5. **समन्वय की विफलताएँ–** पुलिस, सामाजिक सेवाओं और गैर–सरकारी संगठनों के बीच कमजोर सहयोग प्रभावशीलता को कमजोर करता है।

नीतिगत सुझाव:

1. **परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना–** अपराध रोकने के लिए जोखिमग्रस्त परिवारों को परामर्श और आर्थिक सहायता प्रदान करना।द
2. **शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण–** स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों का विस्तार।
3. **सामुदायिक पुलिसिंग–** कमजोर बच्चों की शीघ्र पहचान के लिए स्थानीय नेताओं, गैर–सरकारी संगठनों और युवा क्लबों को शामिल करना।
4. **आर्थिक सशक्तिकरण–** बाल कल्याण को मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कौशल भारत मिशन जैसी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ एकीकृत करना।
5. **पुनर्वास और पुन: एकीकरण–** पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रमों में मार्गदर्शन, नौकरी की व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
6. **अनुसंधान और डेटा संग्रह–** नीति निर्माण हेतु किशोर अपराधियों की नियमित सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा तैयार करना।

निष्कर्ष – भारत में किशोर अपराध एक सामाजिक और कानूनी चुनौती है, जो गरीबी, असमानता और सामाजिक उपेक्षा से गहराई से प्रभावित है। जहाँ कानूनी ढाँचा देखभाल और सुरक्षा पर जोर देता है, वहीं अपराध की सामाजिक–आर्थिक जड़ें शिक्षा, रोजगार और परिवार कल्याण में व्यापक सुधार की माँग करती हैं। इसका समाधान कठोर दंड में नहीं, बल्कि सामाजिक निवेश में निहित हैकृऐसी समावेशी संस्थाओं का निर्माण जो बच्चों की क्षमता का पोषण करें और उन्हें मुख्यधारा के समाज से अलग–थलग पड़ने से रोकें। बाल–केंद्रित न्याय प्रणाली के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कानून, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल करते हुए एक बहु–विषयक रणनीति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Becker, Howard S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Free Press, 1963.
2. Merton, Robert K. “Social Structure and Anomie.” *American Sociological Review*, vol. 3, no. 5, 1938, pp. 672–682.
3. National Crime Records Bureau (NCRB). *Crime in India 2023: Statistics*. Ministry of Home Affairs, Government of India, 2024.
4. Shaw, Clifford R., and Henry D. McKay. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. University of Chicago Press, 1942.
5. “The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.” Government of India Gazette.
6. *Shilpa Mittal v. State (NCT of Delhi)*, (2020) 2 SCC 787.
7. *Hari Ram v. State of Rajasthan*, (2009) 13 SCC 211.
8. National Institute of Criminology and Forensic Science (NICFS). *Study on Juvenile Crime in India*, Ministry of Home Affairs, 2022.
9. United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, 1989.
10. AIIMS – National Drug Dependence Treatment Centre. *Magnitude of Substance Use among Adolescents in India*, 2021.

****